



निष्पादित केवाला, दाखिल खारीज वाद सं० ६६६  
में निर्गत शुद्धि पत्र, मालगुजारी रसीद, राजमणी तिवारी द्वारा  
इन्दु चौबे के पक्ष में दिनांक 23.01.2004 का निष्पादित  
केवाला, मंजू देवी के पक्ष में दिनांक 04.04.2012 का  
निष्पादित केवाला एवं रामदास तिवारी द्वारा जुगल किशोर  
शुक्ला के पक्ष में वर्ष 1970 का निष्पादित केवाला (सभी  
कागजात की छायाप्रति) दाखिल किया है जबकि द्वितीय पक्ष  
ने राजमणी तिवारी द्वारा मंजू देवी के पक्ष में दिनांक  
04.04.2012 का निष्पादित केवाला की छायाप्रति दाखिल  
किया है।

दोनों पक्षों द्वारा दाखिल कारणपृच्छा एवं कागजात के  
अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वस्तुतः दोनों पक्षों के बीच  
रास्ता का विवाद है, जिसका समाधान दण्ड प्रक्रिया संहिता  
की धारा 144 के अन्तर्गत नहीं अपितु दण्ड प्रक्रिया संहिता की  
धारा 147 के अन्तर्गत संभव है। ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया  
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
15/5/12

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर मेदिनीनगर।

  
15/5/12

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर मेदिनीनगर।